वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिलापचन्द भूत का दिनांक **08/02/2016** को दु:खद निधन हो जाने पर आयोजित शोक संदर्भ सभा दिनांक **10/02/2016** में श्रद्धाजंलि हेतु माननीय न्यायाधिपति श्री गोविन्द माथुर द्वारा अभिभाषण

मेरे सम्मानित साथी न्यायाधिपतिगण,

राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी,

राजस्थान बार कौंसिल के नामित प्रतिनिधि श्री जगमालसिंह चौधरी,

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसियशन के अध्यक्ष श्री रणजीत जोशी,

राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसियशन के अध्यक्ष श्री कुलदीप माथुर,

वरिष्ठ एवं अन्य अधिवक्तागण,

राज्य न्यायिक सेवा तथा उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के अधिकारीगण,

देवियों एवं सज्जनों।

वर्ष 2016 के पूर्वाद्ध में हम आज पुन: शोक संदर्भ हेतु एकत्रित हुये हैं। हमारे इस सभा का केन्द्र बिन्दु एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें सदैव जीवन और जीवन्तता के ही दर्शन हुये हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका वरण करते हुये स्वयं मृत्यु भी शोक मग्न रही होगी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना जीवन हमेशा वर्तमान में जीया, आज भूत को प्राप्त हो चुका है। 1 अगस्त,1938 को जन्मे श्री मिलापचन्द भूत ने मात्र 77 वर्ष की

आयु में इस फरवरी मास के आठवें दिवस को अपनी जीवन यात्रा को विराम दिया। यह आयु आज के युग में अल्पायु ही कही जायेगी, विशेष तौर से एक ऐसे व्यक्तित्व के लिये जिनके जीवन को अनुशासन ने आकार और विस्तार दिया।

मारवाड़ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार के कुल दीपक श्री मिलापचन्द भूत अपने बाल्या अवस्था से ही अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व व कुशाग्र बुद्धि के स्वामी रहे । वर्ष 1954 में श्री सरदार विद्यालय से विद्यालय की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात श्री भूत ने उच्च शिक्षा जोधपुर में ही प्राप्त की। एक सफल व्यवसायी परिवार की पृष्ठभूमि के साथ श्री मिलापचन्द भूत के लिये यह बहुत सरल होता कि वे अपने भविष्य की खोज भी अपने पारिवारिक व्यापार में ही करते, परन्तु तर्क, साहस और तीक्ष्ण बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्तित्व ने विधि का विद्यार्थी बनना स्वीकार किया। आपने वर्ष 1963 में विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 22 जून, 1964 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुये।

श्री भूत ने प्रख्यात अधिवक्ता श्री राधाकिशन रस्तोगी के सानिध्य में विधि व्यवसाय प्रारम्भ किया। अपनी लगन, निष्ठा और श्रम से उन्होंने विधि व्यवसाय में शीघ्र ही अपना एक निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। वे विधि के सभी विषयों में पारंगत थे। उनकी भागीदारी दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी व अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों में रही। श्रम और सेवा संबंधी प्रकरणों में भी श्री भूत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री भूत 80 और 90 के दशक में श्रमिकों व रेलवे कर्मियों के चहेते अधिवक्ता रहे। अपने पाँच दशक से अधिक के विधि व्यवसायिक जीवन में श्री मिलापचन्द भूत ने विधि व्यवसाय के उच्च प्रतिमानों को सिंचित और संरक्षित किया। श्री भूत अधीनस्थ

न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी न्यायालयों में पूरी क्षमता, निष्ठा और पूर्ण गम्भीरता से अपना पक्ष रखते थे।

कुछ समय पूर्व गम्भीर रूप से अस्वस्थ होने से पहले तक वे विधि व्यवसाय में पूर्ण रूप से सक्रिय रहे। न्यायालय में उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही स्पष्टत: दृष्टिगोचर होती रही। श्री भूत की विलक्षण प्रतिभा को देरी से ही सही, परन्तु वर्ष 2011 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित कर सम्मानित किया गया।

श्री मिलापचन्द भूत के गुरू श्री राधाकिशन रस्तोगी विधि व्यवसाय के साथ सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। श्री भूत यद्यपि अपने गुरू की भाँति इन क्षेत्रों में इतने सक्रिय नहीं रहे, परन्तु अधिवक्ताओं की संस्थाओं में उनकी भागीदारी अविस्मरणीय है । जोधपुर के अधिवक्ताओ ने श्री भूत के नेतृत्व में सदैव अपना विश्वास व्यक्त किया और वे पाँच बार राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसियशन के अध्यक्ष रहे। श्री भूत ने न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय के सम्मान को कभी कोई आँच नहीं आने दी। अधिवक्ता समुदाय का हित उनके लिये सदैव सर्वोपरि रहा।

निजी रूप से मेरे श्री भूत से घनिष्ठ एवं मधुर सम्बन्ध रहे। वर्ष 1999 तक शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा होगा जब मैंने अपने मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश बोड़ा व श्री निरंजन गौड़ के साथ स्टेशन रोड़ स्थित श्री भूत के कार्यालय में बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के चुनाव हेतु उनसे मार्गदर्शन ना लिया हो। यह एक अजीब संयोग रहा कि वर्ष 2000 में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसियशन के अध्यक्ष पद के

चुनाव में हम दोनों ही सीधे रूप से आमने-सामने थे। मैं तीन मतों के अन्तर से परास्त हुआ, परन्तु वह हार-जीत चुनाव के साथ ही समाप्त हो गयी। श्री भूत का स्नेह व आशीर्वाद मुझे निरन्तर प्राप्त होता रहा।

आज यह विराट व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं है।

समय के चक्र में बहुत सारे अद्वितीय प्रतिभा के धनी अधिवक्ता हमारे बीच में नहीं रहे, हमने अनेक अनमोल रत्नों को खो दिया। श्री मिलापचन्द भूत सहित इन सभी अधिवक्ता रत्नों ने अपनी लगन, निष्ठा, श्रम और सदभावना से विधि व्यवसाय को नये आयाम दिये और जोधपुर को "राजस्थान की न्यायिक राजधानी" कहलाये जाने का सच्चा अधिकार दिया। इस सम्पूर्ण पीढ़ी को सच्ची और सार्थक श्रद्धांजलि यही होगी कि हमारे युवा अधिवक्ता अपनी लगन, निष्ठा, श्रम और ईमानदारी से अपने अग्रजो की कमी महसूस नहीं होने दें। स्वयं श्री मिलापचन्द भूत के परिवार में उनके भान्जे श्री चन्द्रशेखर कोटवानी, पौत्र अर्पित, पौत्र पत्नी श्रीमती महक, पौत्री श्रीमती अर्पना विधि व्यवसाय में सक्रिय है।

मृत्यु के संताप की इस घडी में आज हम सभी की इन युवाओं से यही अपेक्षा है कि :-

"नये सूत्र में जोड़ेगा, कोई छूटे अध्याय को ।
कोई तो संवार देगा, फिर इस खण्ड़ित विन्यास को।।"

श्री भूत अपने पीछे अपना भरापूरा परिवार छोड़कर गये हैं। इस दु:ख की घडी में मैं अपने सभी

न्यायाधिपति साथियों के साथ उनके परिजनों और उनके अभिन्न मित्र श्री रामरख व्यास को अपने अंतस् से संवेदना प्रेषित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि श्री मिलापचन्द भूत की आत्मा को चिर एवं स्थायी शांति प्राप्त हो।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में हम अपने स्थान पर खड़े होकर दो मिनट का मौन रखेंगे। तदुपरान्त न्यायालय की कार्यवाही आज के लिये स्थगित रहेगी।

(गोविन्द माथुर)
न्यायाधिपति